पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

MASTER CIRCULAR

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2024/02/CRA-02 **31 January 2024**

To,

i. Central Recordkeeping Agency ('CRA')

ii. National Pension System Trust ('NPS Trust')

iii. Point of Presence - Atal Pension Yojana ('PoP – APY')

Madam / Sir,

eAPY – Online facility to ease onboarding and seeding of Aadhaar for APY subscribers

1. This Master Circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) read with Section 14(2)(e) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

2. This Master Circular rescinds the existing guidelines/instructions on the subject of "eAPY – Online facility to ease onboarding and seeding of Aadhaar for APY subscribers" and consolidates at one place. The list of underlying circulars rescinded in this Master Circular is furnished in the Appendix.

This Master Circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

-sd-

(**Ashish Kumar**)
Chief General Manager

INDEX
PART I – Introduction
PART II – General Guidelines
PART III – Specific Guidelines/Instructions
PART IV – List of circulars consolidated in the Master Circular

PART I – Introduction

1. The Atal Pension Yojana (APY) was introduced by the Government of India to foster a pension-inclusive society, providing a means for every Indian citizen in the unorganized sector to secure their income during old age. Administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), the scheme operates within the National Pension System (NPS) framework. Banks and branches of the Department of Post which are acting as APY Service Providers (APY-SP) (hereinafter referred to as 'PoP – APY').

2. The Government of India officially notified APY under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits, and Services) Act, 2016, on May 11, 2017. Further clarification was provided through a UIDAI circular dated November 25, 2019.

3. To enhance accessibility and simplify the subscription process, Protean e-Governance Technologies' Central Recordkeeping Agency (PCRA) has introduced eAPY. This digital facility utilizes Aadhaar eKYC/XML/Virtual ID, providing an additional option for seamless digital enrollment, lead generation mode that can be used by the Well-wishers (someone known to the subscriber) or by the individuals who are not able to approach the proper channel to open an APY account and online feature for migration of Swavalamban subscribers to APY. This eliminates the need to visit a bank branch, saving time, effort, costs, and offering significant convenience.

PART II – General Guidelines

4. The compliance obligation of the intermediary/entity shall not be confined merely to the Master Circular but, also the applicable laws.

5. This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (*earlier issued circulars*) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, Part IV containing the list of circulars consolidated in the Master Circular shall stand rescinded with the issuance of this Master Circular, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity.

6. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (*for the period of their operation*)

shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

7. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (*now rescinded*), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III – Specific Guidelines/Instructions

8. The eAPY facility empowers potential APY subscribers to register online through the service provided by PCRA, facilitating access to APY services. This feature allows subscribers to engage with the system effortlessly and conveniently in a paperless manner. The eAPY facility is offered at no cost, and there are no additional charges associated with its usage. Prospective APY subscribers can register via PCRA's portal and "APY and NPS Lite," mobile app using the following methods:

    (i) Offline XML-based Aadhaar KYC

    (ii) Online Aadhaar-based eKYC

    (iii) Virtual ID

9. Prospective subscriber data, gathered through e-KYC framework, will be shared with their respective banks via online exchange. This enables the setup of an auto-debit for the chosen pension amount. Subsequent services for APY account holders will be handled by the respective PoP – APY. As per the new e-APY which is API based, details gathered through Aadhaar will be sent to PoP – APY for verification. Post verification the prospective subscriber will be allowed to complete the registration and PRAN will be generated on real time basis. These subscriber registration details along with PRAN will be shared with PoP – APY for debiting first contribution and setting up SI for the PRAN.

10. Subscribers opting for eAPY registration should ensure the following:

    (i) The demographic information provided during eAPY registration matches the information in bank records.

(ii) The savings account has sufficient balance for the first APY installment, based on the chosen pension amount (Rs 1000 - Rs 5000).

(iii) APY account activation occurs after authentication of information retrieved from Aadhaar, including Name and Date of Birth.

PoPs–APY notifies subscribers of online registration rejections, providing reasons, and encourages resubmission of their requests after rectification.

11. PCRA facilitates Aadhaar seeding for existing APY subscribers through a consent mechanism, available via the CRA portal and "APY and NPS Lite" mobile app. PoPs – APY can also collect Aadhaar details with consent for seeding, using the file format provided by CRA. When opting for Aadhaar seeding through the eAPY facility, subscribers must ensure that their name and Date of Birth (DoB) align with CRA records.

12. All PoPs–APY are encouraged to include an eAPY link (https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html) on their corporate websites, enhancing customer onboarding and providing guidance on Aadhaar seeding.

13. PCRA shall make available guidelines/SOPs on eAPY for APY subscribers on its website, ensuring information is readily available for stakeholders.

PART IV - List of circulars consolidated in the Master Circular

Sl.	Circular No.	Date	Subject
1	PFRDA/2021/44/SUP-CRA/17	27 October 2021	Facility of Online APY Subscription through Aadhaar e KYC
2	PFRDA/2022/08/SUP-CRA/02	21 April 2022	eAPY - Ease of onboarding through Aadhaar
3	PFRDA/2023/02/SUP-CRA/02	10 January 2023	Empowering APY Subscribers with ease of Aadhaar Seeding - Launch of Seeding Convenience through CRA Portal & Mobile App

मास्टर परिपत्र

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2024/02/CRA-02 **31 जनवरी 2024**

प्रति,

i. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ('सीआरए')
ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ('एनपीएस ट्रस्ट')
iii. उपस्थिति अस्तित्व - अटल पेंशन योजना ('पीओपी - एपीवाई')

महोदया / महोदय,

ईएपीवाई – एपीवाई अभिदाताओं के लिए ऑनबोर्डिंग और आधार सीडिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा

1. यह मास्टर परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 (1) के साथ पठित धारा 14 (2) (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

2. यह मास्टर परिपत्र, "ईएपीवाई - एपीवाई अभिदाताओं के लिए ऑनबोर्डिंग और आधार सीडिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा" विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों / निर्देशों को निरसित करके एक स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निरसित किए गए अंतर्निहित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

यह मास्टर परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

-sd-

(**आशीष कुमार**)
मुख्य महाप्रबंधक

सूची
भाग I – परिचय
भाग II – सामान्य दिशानिर्देश
भाग III – विशिष्ट दिशानिर्देश / निर्देश
भाग IV – मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची

भाग I – परिचय

1. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत सरकार द्वारा पेंशन-समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जो असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय नागरिक हेतु वृद्धावस्था के दौरान उनकी आय को सुरक्षित करने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित, यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) संरचना के भीतर संचालित होती है। बैंक और डाक विभाग की शाखाएं एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एपीवाई-एसपी) के रूप में कार्य कर रही हैं (इसके बाद 'पीओपी - एपीवाई' के रूप में संदर्भित) ।

2. भारत सरकार द्वारा एपीवाई को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 11 मई, 2017 को अधिसूचित किया गया। इसके अलावा यूआईडीएआई द्वारा दिनांक 25 नवंबर, 2019 के परिपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था।

3. सदस्यता प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने और उसे सरल बनाने के लिए, प्रोटियन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (पीसीआरए) ने ईएपीवाई को प्रस्तुत किया है। यह डिजिटल सुविधा आधार ईकेवाईसी /एक्सएमएल/वर्चुअल आईडी का उपयोग करते हुए निर्बाध डिजिटल नामांकन, लीड जनरेशन मोड जिसका उपयोग शुभचिंतकों (ग्राहक के परिचित व्यक्ति) या उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जो एपीवाई खाता खोलने के लिए उचित चैनल से संपर्क करने में सक्षम नहीं हैं और स्वावलंबन ग्राहकों को एपीवाई में माइग्रेशन के लिए एक ऑनलाइन विकल्प प्रदान करती है। इस महत्त्वपूर्ण सुविधा को पेश किए जाने से बैंक की शाखा में जाने की जरूरत समाप्त होती है, जिससे समय, प्रयास और लागत की बचत होती है।

भाग II – सामान्य दिशानिर्देश

4. मध्यस्थ / इकाई का अनुपालन दायित्व मास्टर परिपत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि साथ-साथ लागू कानूनों से भी सम्बद्ध होगा।

5. यह मास्टर परिपत्र इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु उसके (पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों) के लागू होने की स्थिति में उनके संचालन और प्रभाव के प्रति पूर्वाग्रह से तब तक मुक्त होगा, जब तक कि उन्हें मास्टर परिपत्र के तहत शामिल नहीं कर लिया जाए। उपर्युक्त चेतावनी के आधार पर, मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची वाले भाग IV में शामिल परिपत्रों को इस मास्टर परिपत्र के जारी होने के

साथ निरस्त कर दिया जाएगा, ताकि वे मास्टर परिपत्र में सम्मिलित हो जाएँ और सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत रूप से लागू रहें।

6. किसी भी परिपत्र के ऐसे निरसन के बावजूद, मास्टर परिपत्र में उनके विलय पर, या अन्यथा, अब निरस्त किए गए परिपत्रों के तहत (उनके प्रवर्तन की अवधि के लिए) की गई या उठाई गई या कथित रूप से की गई या उठाई गई या की जाने वाली या इसके बाद उठाई जाने वाली किसी भी कार्रवाई को वैध रूप से किया हुआ माना जाएगा जैसे कि उक्त परिपत्र पूरी तरह लागू और प्रभावी हों और वे किसी भी तरह से उनके निरस्तीकरण से अप्रभावित रहेंगे।

7. निरस्त किए गए परिपत्रों का पिछला प्रवर्तन या उसके तहत विधिवत रूप से किये या उठाये गए कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो अर्जित, उपार्जित या वहन किया गया है, कोई भी आदेश पारित, कोई उल्लंघन, कोई भी जांच, परिपत्रों (जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है) के संदर्भ में लंबित कानूनी कार्यवाही, इस प्रकार मानी जाएगी, मानो परिपत्र पूरी तरह से प्रवृत्त और प्रभावी हों और वे किसी भी तरीके से उनके निरसन से अप्रभावित रहेंगे।

भाग III – विशिष्ट दिशानिर्देश / निर्देश

8. ईएपीवाई सुविधा संभावित एपीवाई अभिदाताओं को पीसीआरए द्वारा प्रदान की गई सेवा के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करने का अधिकार देती है, जिससे एपीवाई सेवाओं तक पहुंच की सुविधा मिलती है। यह सुविधा अभिदाताओं को कागज रहित तरीके से सहजता और सुविधाजनक रूप से प्रणाली के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। ईएपीवाई सुविधा बिना किसी लागत के पेश की जाती है, और इसके उपयोग से जुड़े कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होते हैं। संभावित एपीवाई अभिदाता निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग करके पीसीआरए के पोर्टल और "एपीवाई और एनपीएस लाइट" मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं :

(i) ऑफलाइन एक्सएमएल आधारित आधार केवाईसी

(ii) ऑनलाइन आधार आधारित ईकेवाईसी

(iii) वर्चुअल आईडी

9. ई-केवाईसी फ्रेमवर्क के माध्यम से एकत्र किए गए संभावित अभिदाता आंकड़ों को ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से उनसे संबंधित बैंकों के साथ साझा किया जाएगा। यह चयनित पेंशन राशि के लिए एक ऑटो-डेबिट के सेटअप को सक्षम बनाता है। एपीवाई खाताधारकों के लिए उसके बाद की सेवाओं का प्रबन्धन संबंधित

पीओपी - एपीवाई द्वारा किया जाएगा। नए ई-एपीवाई के अनुसार, जो कि एपीआई पर आधारित है, आधार के जरिये एकत्रित विवरण सत्यापन के लिए पीओपी-एपीवाई को भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद भावी अभिदाता को पंजीकरण पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और वास्तविक समय के आधार पर प्रान (PRAN) सृजित किया जाएगा। प्रान (PRAN) के साथ अभिदाता पंजीकरण विवरणों को पीओपी-एपीवाई के साथ साझा किया जाएगा ताकि पहले योगदान को डेबिट किया जा सके और प्रान (PRAN) के लिए एसआई स्थापित किया जा सके।

10. ईएपीवाई पंजीकरण का विकल्प चुनने वाले अभिदाताओं को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करना चाहिए :

(i) ईएपीवाई पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जनसांख्यिकीय जानकारी बैंक रिकॉर्ड में दी गई जानकारी के समान हो।

(ii) चयनित पेंशन राशि (1000 - 5000 रुपये) के आधार पर एपीवाई की पहली किस्त के लिए बचत खाते में पर्याप्त शेष राशि हो।

(iii) एपीवाई खाता सक्रियण, आधार से प्राप्त सूचना के प्रमाणीकरण के बाद होता है, जिसमें नाम और जन्म-तिथि शामिल हैं।

पीओपी-एपीवाई ग्राहकों को ऑनलाइन पंजीकरण अस्वीकृति के बारे में सूचित करता है, कारण प्रदान करता है, और सुधार के बाद उनके अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

11. पीसीआरए द्वारा सीआरए पोर्टल और 'एपीवाई और एनपीएस लाइट' मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध सहमति तंत्र द्वारा मौजूदा एपीवाई अभिदाताओं के लिए आधार सीडिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। पीओपी – एपीवाई, सीआरए द्वारा प्रदान किए गए फ़ाइल प्रारूप का उपयोग करके सीडिंग हेतु सहमति के साथ आधार विवरण भी एकत्र कर सकता है। ईएपीवाई सुविधा के माध्यम से आधार सीडिंग का विकल्प चुनते समय, अभिदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम और जन्म तिथि सीआरए रिकॉर्ड के साथ संरेखित हो।

12. सभी पीओपी-एपीवाई को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइटों पर ईएपीवाई लिंक (https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html) शामिल करें तथा अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग को बढ़ाएं और आधार सीडिंग पर मार्गदर्शन प्रदान करें।

13. पीसीआरए द्वारा उनकी वेबसाइट पर एपीवाई अभिदाताओं के लिए ईएपीवाई पर दिशानिर्देश/एसओपी उपलब्ध कराया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हितधारकों के लिए जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।

भाग IV - मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	तिथि	विषय
1	PFRDA/2021/44/SUP-CRA/17	27 अक्टूबर 2021	Facility of Online APY Subscription through Aadhaar e KYC
2	PFRDA/2022/08/SUP-CRA/02	21 अप्रैल 2022	eAPY - Ease of onboarding through Aadhaar
3	PFRDA/2023/02/SUP-CRA/02	10 जनवरी 2023	Empowering APY Subscribers with ease of Aadhaar Seeding - Launch of Seeding Convenience through CRA Portal & Mobile App